(वाद सं०– 4345/4/36/2021)

19.09.2022

परिवादी, सुधा कुमारी, A.N.M., प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रीगा अपने पति, राजकिशोर सिंह, के साथ उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, सुधा कुमारी, A.N.M. (दिव्यांग) के विक्लांग्ता का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रीगा के प्रधान लिपिक, जयशंकर प्रसाद, द्वारा बराबर उपहास किये जाने से सम्बन्धित है।

उक्त पर असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्रतिवेदन की मांग की गई। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्निनत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रीगा के प्रतिवेदन व संलग्न कागजातों के अनुसार परिवादी द्वारा कोविड–19 से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किये जाने के बाद भी कोविड–19 के दौरान कार्य किये जाने की प्रोत्साहन राशि की गलत रूप से मांग करने तथा उक्त मांग को सक्षम प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत किये जाने से रूष्ठ होकर परिवादी द्वारा राज्य आयोग के समक्ष प्रसंगाधीन मनगढ़ंत परिवाद दाखिल किया गया है। प्रतिवेदनानुसार, पूर्व में परिवादी के पति, राजकिशोर सिंह, द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीतामढ़ी के समक्ष समान आशय का एक परिवाद दाखिल किया गया था, जो सुनवाई के उपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है। प्रतिवेदनानुसार, परिवादी द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रीगा, के प्रधान लिपिक के विरूद्ध, कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये शिकायत का लैंगिक शिकायत उत्पीड़न समिति द्वारा नियमानुसार जाँच किया गया तथा परिवादी के समस्त आरोपों को समिति द्वारा असत्य पाया गया।

प्रतिवेदनानुसार, परिवादी के राज्य आयोग में दिये गये परिवाद पर चिकित्सकों के एक त्रिसदस्यीय टीम द्वारा जाँच की गयी तथा उक्त त्रिसदस्यीय टीम द्वारा परिवादी की ओर से अपने प्रधान लिपिक पर लगाये गये आरोप को झूठा एवं मनगढ़ंत पाया गया।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। । अपने प्रत्युत्तर में परिवादी द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रतिवेदन का प्रतिवाद किया गया है तथा पुनः कोविड–19 के प्रोत्साहन राशि व बकाया वेतन के भुगतान का अनुरोध किया गया है।

आज सुनवाई के क्रम में परिवादी के पति, राजकिशोर सिंह द्वारा राज्य आयोग को सूचित किया गया कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीतामढ़ी के द्वारा उसके समान आशय का आवेदन को अस्वीकृत किये जाने के बाद उसकी ओर से उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील दाखिल नहीं किया गया है।

प्रसंगाधीन परिवाद प्रथम दृष्टतया सेवा से सम्बन्धित प्रतीत होता है जो राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है।

अतः उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति के **असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रतिवेदन की प्रति (पृष्ठ 11–03/प0)** की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचनार्थ भेज दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>